

22/06/22

वकील उभयपक्ष उप.। वकील अपीलान्त पूर्व
दिनांक 19/05/22 को उक्त पत्रावली को
जरिये विज्ञो स्वस्तिप करने का प्रार्थना
पेश किया था। जिसे वकील रेल्वोडेंट लं. 1
ने दिनांक 30/05/22 को प्रार्थना पत्र पेश
कर निवेदन किया कि अपीलान्त द्वारा अपील
को विज्ञो की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं
है। रेल्वोडेंट स. 2 की ओर राजकीय
अधिवक्ता ने भी अपील विज्ञो करने
पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

परीख

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में
जारी हुए

उभयपक्ष द्वारा पेश शर्चना पत्र ^{पत्र} मनन
किया गया। पत्रावली जरिअे विडोल
रवदिन की जाती है। पत्रावली कैसल ^{कुमार}
होकर दखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली